न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 25/2021 तारीख रजू :– 29.06.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

रामेश्वर पुत्र लालचन्द जाति जाटव निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली—————————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :– 25-8-21

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 26 रकबा 0.28 है0, 128 रकबा 0.24 है0, 02 रकबा 0.20 है0, 23 रकबा 0.02 है0, 27 रकबा 0.27 है0, 03 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.06 है0, 55 रकबा 0.53 है0, 56 रकबा 0.66 है0, 06 रकबा 0.06 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम बहिस्सा 1/3 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 01 मिन रकबा 6 बीघा, 16 मिन रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि की खातेदारी मुताविक खतौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2000से 2019 में प्रार्थी के पिता का नाम लालचन्द पुत्र मंगल दर्ज है तथा प्रार्थी के पिता का नाम समस्त सरकारी दस्तावेज में यथा पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक की पास बुक, व अन्य जमाबन्दी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि में लालचन्द पुत्र मंगल दर्ज है। परन्तु सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी के पिताजी का नाम लालचन्द के स्थान पर रामचन्द उक्त आराजीयात की जमाबन्दी में दर्ज किया गया, जो कतई गलत व खिलाफ कानून है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर बिना किसी विधिक प्रक्रिया के भूलवश गलती से प्रार्थी के पिताजी का नाम राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र मंगल के स्थान पर रामचन्द पुत्र मंगल गलत दर्ज कर दिया, जबकि सेटिलमेन्ट कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को ज्यों कि त्यों रिपीट करना था, ना कि उनमें फेरबदल करना था। सेटिलमेन्ट विभाग की उक्त गलती से प्रार्थी के हक, हकूक काफी प्रभावित हो रहे हैं। प्रार्थी के हक में विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है। प्रार्थी सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इसलिए उक्त गलती को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.06.2021 को उक्त गलती की दुरूस्ती कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डौन को पेश किया, तो कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती का न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द पुत्र मंगल जो गलत रिकार्ड दर्ज है को दुरूस्त करने व उसके स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र मंगल राजस्व रिकार्ड

में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें तथा विपक्षी तहसीलदार को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम कारवाडी जट्ट जमाबन्दी दर्ज हाल खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बरान खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2008–19 में वादी के पिता का नाम लालचन्द पुत्र मंगल दर्ज है। शेष तथ्य अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 इस हद तक स्वीकार है कि वादी के पिता का नाम लालचन्द पुत्र मंगल के बजाय रामचंद सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05,6, में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5,6, कानूनी है।

विविध – वादी द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत धारा 136 इस आश्य से प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा जो खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2008–19 में लालचन्द पुत्र मंगल दर्ज खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 128, 2,23,27,3,54,55,56, 6, 26 में रामचंद पुत्र मंगल अंकित हो गया है तो दुरूस्त किया जावे। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड बाद मिलान वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः जबाव प्रतिवादी सादर प्रेषित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या एफंटीपी/1354232 लालचन्द पुत्र मंगल निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है, श्री लाखनसिंह जाटव सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा दिनांक 20.06.2021 को जारी शुद्धिकरण प्रमाण पत्र, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08107005220008400022/2016 लालचन्द पुत्र मंगल निवासी शेरपुर मृत्यु दिनांक 16.08.2016, फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1981रामेश्वरलाल पुत्र लालचन्द नामांक 405298, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2008–19, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या एफटीपी/1354232 लालचन्द पुत्र मंगल निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

श्री लाखनसिंह जाटव सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा दिनांक 20.06.2021 को जारी शुद्धिकरण प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि लालचन्द (स्व0) पुत्र श्री मंगल जाटव निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान का निवासी है। इसको मैं भली भाँति जानता हूँ एवं इसकी

जमीन कारवाडी जट्ट पटवार हल्का करसौली में है, जो रामचन्द पुत्र मंगल है, इसको शुद्धिकरण करके लालचन्द पुत्र मंगल जाना जावे।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 371 रकबा 0.30 है0, 381रकबा 0.01 है0, 382 रकबा 0.22 है0, 387 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी अमरपति पुत्री लालचन्द हि01/6 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार , रामप्रसाद पुत्र लालचन्द हि01/6 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार, रामेश्वर पुत्र लालचन्द हि01/6 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार, सावित्री पुत्री लालचन्द हि01/6 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार खसरा नम्बर 144 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरपति पुत्री लालचन्द हि01/18 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार , रामप्रसाद पुत्र लालचन्द हि01/18 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार, रामेश्वर पुत्र लालचन्द हि01/18 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार, सावित्री पुत्री लालचन्द हि01/18 जाति जाटव सा0 शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08107005220008400022/2016 लालचन्द पुत्र मंगल निवासी शेरपुर मृत्यु दिनांक 16.08.2016 जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1981रामेश्वरलाल पुत्र लालचन्द नामांक 405298 जारी की हुई है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा 128 रकबा 0.24 है0, 02 रकबा 0.20 है0, 23 रकबा 0.02 है0, 27 रकबा 0.27 है0, 03 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.06 है0, 55 रकबा 0.53 है0, 56 रकबा 0.66 है0, 06 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामचन्द पुत्र मंगल हि01/3 जाति जाटव सा0शेरपुर

खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा 26 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामचन्द पुत्र मंगल हि01/3 जाति जाटव सा0शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2008–19 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 6 बीघा, 16 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी परमोती बल्द रामसुखा लालचन्द बल्द मंगल घीस्या बल्द मूशरिया कौम चमार सा0 शेरपुर मु0 कदीम हि0बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 6 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 6 रकबा 0.06 है0, 27 रकबा 0.27 है0, 28 रकबा 0.55 है0, 02 रकबा 0.20 है0, 03 रकबा 0.09 है0, तथा साबिक खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 23 रकबा 0.02 है0, कायम किये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जमाबन्दी सं0 2072–75 में आराजी खसरा 128 रकबा 0.24 है0, 02 रकबा 0.20 है0, 23 रकबा 0.02 है0, 27 रकबा 0.27 है0, 03 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.06 है0, 55 रकबा 0.53 है0, 56 रकबा 0.66 है0, 06 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में रामचन्द पुत्र मंगल हि01/3 जाति जाटव सा0शेरपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा 26 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में रामचन्द पुत्र मंगल हि01/3 जाति जाटव सा0शेरपुर दर्ज रिकार्ड हैं। जबकि प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये अन्य सभी दस्तावेज एवं जमाबन्दीयों में प्रार्थी के पिता का

नाम लालचन्द पुत्र मंगल है। जिन जमाबन्दीयों में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द पुत्र मंगल था उन खातों में लालचन्द की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व लालचन्द के अन्य वारिसान के नाम खुल चुका है। तहसीलदार हिण्डौन ने भी अपने जबाव प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द पुत्र मंगल गलत है, जबकि सही नाम लालचन्द पुत्र मंगल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने पिता के नाम की दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द पुत्र मंगल के स्थान पर लालचन्द पुत्र मंगल राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा 128 रकबा 0.24 है0, 02 रकबा 0.20 है0, 23 रकबा 0.02 है0, 27 रकबा 0.27 है0, 03 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.06 है0, 55 रकबा 0.53 है0, 56 रकबा 0.66 है0, 06 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तथा खसरा 26 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द पुत्र मंगल के स्थान पर लालचन्द पुत्र मंगल संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....25-2-22.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली